

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(77)एमई/ग्रुप-1/82

जयपुर, दिनांक : 11 6 DEC 2020


आदेश

डॉ. अमिता कश्यप, वरिष्ठ आचार्य, पी.एस.एम. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 19.10.1956 है, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.10.2021 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अमिता कश्यप, वरिष्ठ आचार्य, पी.एस.एम. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

  
(सुनील शर्मा) 15/12/2020  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ. अमिता कश्यप, वरिष्ठ आचार्य, पी.एस.एम. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
15-12-2020  
(रमेश चन्द्र आर्य)  
शासन वरिष्ठ उप सचिव